

प्रेस-विज्ञप्तिथाना मुबारकपुरदुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.2.21 को थाना स्थानीय पर वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर मु.अ.स. 039/021 धारा 376,366,504,506 भादवि बनाम मुकेश चौहान पुत्र शंभू चौहान निवासी पुषडा आईमा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 02 नफर अज्ञात के पंजीकृत होकर अभियोग उपरोक्त के वांछित मुकेश चौहान पुत्र शंभू चौहान निवासी पुषडा आईमा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ की तलाश किया जा रहा था।

आज दिनांक 25.2.21 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र मय हमराह टीम द्वारा पर मु.अ.स. 039/021 धारा 376,366,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुकेश चौहान पुत्र शंभू चौहान निवासी पुषडा आईमा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को सठियाव चौरेह से समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है.

**पूछताछ का विवरण**—मुकेश चौहान पुत्र शंभू चौहान निवासी पुषडा आईमा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ पूछताछ से बता रहा है कि मैं प्रभावती बालिका विद्यालय सठियाव में पढाता हू। तथा सठियाव में ही कोचिंग भी पढाता हू। नेहा (काल्पनिक नाम) मेरी छात्रा रही है। जिसे मैं लगभग 1 वर्ष से कोचिंग में पढा रहा था। कोचिंग पढाने के दौरान ही मेरा आकर्षण नेहा (काल्पनिक नाम) की तरफ हुआ। मेरे मन में उसके प्रति प्रेम बढ़ने लगा तो मैं उसे ज्यादा अकेले में व सामूहिक तौर पर बातचीत करने लगा तथा नजदीकिया बढ़ाने लगा इसी बीच में वर्ष 2020 के सितम्बर माह में आई ए एस का फार्म भरवाने के बहाने आजमगढ़ ले जाकर धोखे से शादी के कागजात पर हस्ताक्षर बनवा लिया था उसके बाद माह दिसम्बर वर्ष 2020 में उसको बहला फुसलाकर अपने मौसी के घर ग्राम उमरी जनपद मऊ ले गया जहा पर लगभग 8 दिनों तक रहा उसी दौरान मैंने उसके साथ उसे अपनी बातों में फसा कर शारिरिक सम्बन्ध बनाया। जिसका उसने बाद में विरोध भी किया था। इसी दौरान नेहा के पिता द्वारा थाने में सूचना दर्ज करायी गयी जिस पर पुलिस के खोजबीन शुरु की जानकारी होने पर मैंने नेहा (काल्पनिक) को सठियाव के पास छोड़ दिया था। वह अपने घर चली गयी और मैं पुलिस के पकड़े जाने के डर से हट बढ कर रहने लगा।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स. 039/021 धारा 376,366,504,506 भादविथाना मुबारकपुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

मुकेश चौहान पुत्र शंभू चौहान निवासी पुषडा आईमा थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

SHO अखिलेश कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़

हे.का. उपेन्द्र यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

हे.का. आफताब खान थाना मुबारकपुर ,जनपद-आजमगढ़ ।

का. प्रमोद यादव थाना मुबारकपुर ,जनपद-आजमगढ़ ।

### थाना-जीयनपुर

#### अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.02.2021 को थाना जीयनपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 09.11.2020 को मेरी नाबालिक पुत्री को अभियुक्तगण बहला फुसलाकर भगा ले गये है। इस सूचना पर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 43/2021 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषय अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 25.02.2021 को उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह का0 अकित पाल द्वारा वांछित,ईमानिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली की मु0अ0सं0 43/2021 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अनुप कन्नौजिया पुत्र सतिराम कन्नौजिया निवासी अजगरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ छपरा गैस एजेन्सी के पास खडा है जो कहीं जाने के फिराक मे है। इस सूचना पर उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह के छपरा गैस एजेन्सी के पास पहुंचकर देखे तो अभि0 अनुप कन्नौजिया वही खडा था। पुलिस बल को देखकर वह खेत मे कुद कर भागने लगा जिसको पुलिस बल द्वारा घेरकर पकड लिया गया। नाम पता पुछा गया तो अपना नाम अनुप कन्नौजिया पुत्र सतिराम कन्नौजिया निवासी अजगरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ बताया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 20.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 43/2021 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

#### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अनूप कन्नौजिया पुत्र सतीराम सा0 अजगरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 भगत सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अकित पाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

## थाना- महाराजगंज

### 10-10 (कुल 20 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में **प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे** के नेतृत्व में दि० 24/2/21 को उ०नि० योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह के रवाना शुदा क्षेत्र हाजा में तलाश वांछित वारन्टी व देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर परशुरामपुर बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति अवैध देशी कच्ची शराब लेकर परसुरामपुर नहर के रास्ते से परशुरामपुर बाजार की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर उ०नि० योगेन्द्र प्रसाद मय हमराही व मुखबिर के परसुरामपुर नहर पुलिया पर आकर आने जाने वाले व्यक्तियों की निगरानी आड़ में खड़े होकर करने लगे कि थोड़ी देर बाद दो व्यक्ति जमालपुर गाँव जाने वाली नहर पटरी की ओर से आते दिखाई दिये जिनके हाथों में पिपिया थी कि मुखबिर इशारा करके मौके से हट गया अपने दाहिने हाथों में पिपिया लेकर आने वाले व्यक्ति ज्यों ही नहर पुलिया पर पहुँचे कि पुलिस टीम ने घेर कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः 1. दीपक यादव S/O केदार यादव नि० थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ हाल पता परशुरामपुर थाना महाराजगंज व 2. हरिलाल S/O अलगू राम नि० जमीलपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताये जामा तलाशी लेते हुए दाहिने हाथ में लिये पिपिया के बारे में पूछने पर दोनों ने बताया कि साहब इसमें 10-10 लीटर कच्ची अवैध शराब है जिसे परशुरामपुर में बेचने ले जा रहे थे इसी से अपना गुजारा चलता है। पिपियों का ढक्कन खोलकर सूँघा गया तो शराब जैसी गंध आ रही है अतः कब्जा पुलिस में लिया गया तथा आरोपीगण को धारा 60(1) Ex Act का अपराध बताकर बजाफता बकायदा समय करीब 18.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 56/21 धारा 60 (1) EX.ACT पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. दीपक यादव S/O केदार यादव नि० थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ हाल पता परशुरामपुर थाना महाराजगंज
2. हरिलाल S/O अलगू राम नि० जमीलपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

#### **बरामदगी-**

10-10 (कुल 20 लीटर) अवैध कच्ची शराब

#### **पंजीकृत अभियोग-**

मु०अ०सं० 56/21 धारा 60 (1) EX.ACT

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ०नि० योगेन्द्र प्रसाद, हे०का० रमेश कुमार व का० रामसरन

**थाना मुबारकपुर**  
**टाप टेन वांछित वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा टाप टेन वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ के कुशल पर्य वेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्रा मय हमराह टीम द्वारा सम्बन्धित न्यायालय ए.एस.जे. कोर्ट न. 8 आजमगढ़ का 82 द.प्र.स. स्पेशल केश न. 67/11 अ.स. 76/11 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट ता. पेशी 6.3.21 व न्यायालय ए.एस.जे. एफ.टी.सी. द्वितीय आजमगढ़ एसटी न. 463/08 धारा 302 भादवि बनाम बलदाउ थाना मुबारकपुर ता. पेशी 30.3.21 के गैर जमानतीय वारन्टी तथा थाना मुबारकपुर के टाप टेन अभियुक्त मृत्युन्जय यादव पुत्र कोमल यादव निवासी खुझिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को मुखबीर खास की सूचना के आधार पर खुझिया मोड से आज दिनांक 25.2.21 समय 5.30 ए.एम.बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त-**

मृत्युन्जय यादव पुत्र कोमल यादव निवासी खुझिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़  
**गिरफ्तार अभियुक्त मृत्युन्जय यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास**

1. मु.अ.स. 65/04 धारा 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना मुबारकपुर
2. मु.अ.स. 306/05 धारा 302,394,120बी भादवि थाना मुबारकपुर
3. मु.अ.स. 327/05 धारा 386 भादवि थाना मुबारकपुर
4. मु.अ.स. 414/05 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर
5. मु.अ.स. 369/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर
6. मु.अ.स. 153/06 धारा ¾ गुण्डा एक्ट थाना मुबारकपुर
7. मु.अ.स. 284/06 धारा 307,504.506. भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना मुबारकपुर
8. मु.अ.स. 269/06 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर
9. मु.अ.स. 437/08 धारा 302 भादवि थाना मुबारकपुर
10. मु.अ.स. 392/08 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना मुबारकपुर
11. मु.अ.स. 75/11 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर
12. मु.अ.स. 76/011 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर
13. मु.अ.स. 77/11 धारा 4/5 विस्फोट पदार्थ थाना मुबारकपुर
14. मु.अ.स. 74/11 धारा 399,402,307 भादवि थाना मुबारकपुर
15. मु.अ.स. 205/19 धारा 323,504,506 भादवि मुबारकपुर

**गिरफ्तारी करने वाली टीम -**

1. SHO अखिलेश कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
2. उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
3. हे.का. उपेन्द्र यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
4. हे.का. आफताब खान थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
5. का. प्रमोद यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

## थाना जहानागंज

### घर मे घुसकर मारपीट वाले दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.02.2021 को वादी पवन कुमार सिंह उर्फ विपिन सिंह पुत्र स्व 0 विरेन्द्र सिंह ग्राम गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के लिखित सूचना पर मु0अ0स0 41/21 धारा 147/452/323/504/427 भादवि पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 25.02.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **सुधीर कुमार सिंह** के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे मु0अ0स0 41/21 धारा 147/452/323/504/427 भादवि से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त 1. अभिषेक सिंह उर्फ सनी सिंह पुत्र आनन्द सिंह ग्राम खुज्झी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 2. अभिषेक सिंह उर्फ प्रिन्स सिंह पुत्र स्व0 आनन्द प्रकाश सिंह ग्राम खरुवाव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर को समय करीब 12.15 बजे घर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण को **गिरफ्तार कर** चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

### **पंजीकृत अभियोग:-**

मु0अ0सं0- 41/2021 धारा 147/452/323/504/427 भादवि

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. अभिषेक सिंह उर्फ सनी सिंह पुत्र आनन्द सिंह ग्राम खुज्झी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
2. अभिषेक सिंह उर्फ प्रिन्स सिंह पुत्र स्व0 आनन्द प्रकाश सिंह ग्राम खरुवाव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-उ0नि0 विजय प्रताप सिंह
- 2- का0 मितिश कुमार

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 2 4 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।\*